



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,

Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक- २५१० / FP/UK/ROAD/12982/2015: देहरादून: दिनांक: ०३ मई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विशय-जनपद पिथौरागढ़ में मा० मु० घो० संख्या-584/2012 के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के निराकरण के संबंध में।

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०6/205/2019/एफ.सी./2279, दिनांक 14.01.2020।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र संख्या-2869/12-1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा सूचना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई। भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना की बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है -

क्र० सं०	आपत्ति	आख्या
1	User Agency may submit the reason for delay of four year to submit the hard copy of the proposal	उक्त आपत्ति के कम में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग से हार्ड प्रतियां प्राप्त नहीं होने के कारण हार्ड प्रति भेजने में विलम्ब हुआ। प्रस्ताव के हार्ड प्रति सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक 1416/13सी० दिनांक 20.08.2019 इस कार्यालय को प्रेषित किये गये थे, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 1445 दिनांक 11.12.2019 के द्वारा प्रस्ताव की हार्ड प्रतियां भारत सरकार को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी हैं।
2	User Agency may mention the details of road and muck disposal separately at para-B(2.4) part-1	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र संख्या-2869/12-1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा para-B(2.4) part-1 अलग से मोटर मार्ग एवं muck disposal अलग अलग कर अपलोड कर दिया गया है।
3	On perusal of the KML file, alignment of the proposed road is going beyond beneficiary village. State govt. may also locate the beneficiary village in KML File	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र संख्या-2869/12-1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि लाभान्वित ग्राम सभा साँसा तोक नयन, जयकोट तोक पस्ती को के०एम०एल० फाइल में अपडेट कर अपलोड कर दी गयी है।
4	In justification of the proposal it has been mentioned that 1020 population of village saunsa and jaikot are not connected from any	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र संख्या-2869/12-1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम सभा साँसा का एरिया लगभग 10

dm

	motor road and villages have to travel 10 to 12 km, However, it is seen that village is already connected and other is very near to the existing road. State Govt may clarify and submit revised justification duly C/S by DFO is required.	किमी० का है जिसके अन्तर्गत नारायण आश्रम भी आता है, और जयकोट परती भी बड़ी ग्राम सभा है। जयकोट परती में पी०एम०जी०एस०वाई० द्वारा वर्ष 2017-2018 में गस्कू नामक स्थान से मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। जो कि अभी भी जयकोट परती ग्राम सभा जुड़ नहीं पाया है। जिस कारण मोटर मार्ग का निर्माण कराना आवश्यक है। लाभान्वित परिवार एवं जनसंख्या क्रमशः 216, 1020 ही है। औचित्य प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	Alternate alignment seems sketchy.State Govt may explore possibilities to connect the village the non-forest land as len of NFL seems available.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा के पत्र संख्या-2869/12-1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक संरेखण में अत्यधिक नाप भूमि एवं अत्यधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिससे ग्रामवासी भी इस सड़क संरेखण से सन्तुष्ट नहीं हैं। अतः प्रस्तावित संरेखण ही उपयुक्त है।
6	User Agency may fill the employment details at para -E seems available.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा के पत्र संख्या-2869/12-1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि यह मोटर मार्ग बनने के पश्चात् ग्राम सौसा जयकोट एवं (तोक नयन, परती) के 1020 ग्रामीणों को अस्थाई रोजगार प्राप्त होगा।
7	User Agency may upload the related document at para -L(iv)(G)and (h)in part-1	L(IV)(G) and (h) में सम्बन्धित document अपडेट कर अपलोड करा दिया गया है।
8	CA scheme is not c/s by DFO Name of the CA area is also not mentioned. Area mentioned found same instead of double state Govt. may uploaded and submit and uploaded revised CAScheme.	पुनः CA scheme नई दर पर प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षर करा कर अपलोड करा दिया गया है।
9	IT has been mentioned in the muck disposal plan that 44462 cum debris will be used out of 84000 cum debris. However, muck disposal plan of only 25000 cum debris submitted instead of 39538 cum debris state Govt. may submit and uploaded revised muck disposal plan	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा के पत्र संख्या-2869/12-1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि muck disposal plan की आपत्तियों का निराकरण कर पुनः muck disposal plan बनाकर अपलोड करा दिया गया है।
10	The forest land required for muck Muck dumping is mention 0.4907 h (5 number of site) in the land scheduled but it is seen from a document submitted with the hard copy that the area of muck disposal sites in civil land coms 0.4592 ha. Only. State Govt. may submit the clarification in this regard and submit the correct information.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा के पत्र संख्या-2869/12-1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण में ली गयी सिविल भूमि प्रस्ताव में 0.4907 हे० (5) नग लेण्ड शैड्यूल के अनुसार सही अंकित है। त्रुटिवश हार्ड कापी में 0.4590 हे० हो गया था। जिसे सही कर अपलोड कर दिया है। लेण्ड शैड्यूल संलग्न है।
11	In the land schedule it is mentioned that 0.855 hact. Land fall in revenue record. State Govt. may confirm if it not a forest land as per definition given by supreme court.	उक्त आपत्ति का प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जिसे संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
12	उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार Existing road KML file पर अंकित करें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा के पत्र संख्या-2869/12-1, दिनांक 19.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि Existing road, KML file पर अंकित

		कर अपलोड कर दी गयी है।
13	It has been mentioned in the muck disposal plane that 44462 cum debris will be used out of 84000 cum debris. However, muck disposal plan of only 25000 cum debris submitted instead of 39538 cum debris. State Govt. may submit and uploaded revised muck disposal.	Muck disposal plan पुनः गठित कर ऑनलाईन अपलोड कर आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।
14	Aerial distance is mentioned is 0.5 from national park/wildlife sanctuary. State Govt. may submit comments of Chief wildlife warden.	Aerial distance NOC मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक संख्या 1183/12-1 देहरादून दिनांक 14.10.2020 द्वारा प्राप्त कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
15	State Govt. may mention village wise breakup of forest land non-forest land separately at para B2.3, Part I online.	Village wise breakup at B-2.3 में Area की आपत्ति का निराकरण आनलाईन माध्यम से कर दिया गया है।
16	The number of tree is mentioned as 296 trees at para 4, Part II but the number of trees is mentioned as 226 trees, 296 trees and 316 trees in the documents submitted with the hard copy. State Govt. may removed this discrepancy and submit/upload correct details of trees.	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्ष 296 की सूचना ऑनलाईन यथास्थान संशोधन कर दिया गया है।
17	Although, the distance from projected area is mentioned as 0.5 Km but 'No' is mention is para 8 (iii) and 8 (iv) of Part II. State Govt. may submit clarification in this regard.	उक्त आपत्ति ऑनलाईन यथास्थान संशोधन कर दिया गया है।
18	In the district wise details in para 3 Part II, Nil is mentioned. State Govt. may fill the details in district profile at para 14, partII	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया है उक्त आपत्ति ऑनलाईन यथास्थान संशोधन कर दिया गया है।
19	Eco-Class is mentioned as Eco-Class V in Para(i) of part II but keeping in view the species of flora, it is likely to be eco-class-VI. State Govt. may submitted the clarification and revised information of required.	उक्त आपत्ति का संशोधित ऑनलाईन यथास्थान कर दिया गया है।
20	Two different NPV calculation sheets are provided with the hard copy. State Govt. may clarify as to which NPV calculation sheet is correct.	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया है एन0पी0वी0 आंकलन सूची वर्तमान दरों के अनुसार संशोधित कर ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
21	The land has been calculated taking the RoW as 9.00m But tree counting is done in 7.00 m. In such ase the land should have been taken in 7.00m width only. State Govt. may submit the clarification in this regard.	मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि का आंकलन 9.00 मीटर चौड़ाई में किया गया है, पेड़ों की गिनती भी 9.00 मीटर चौड़ाई में की गयी है।
22	The forest land required for muck dumping is mentioned as 0.4907 h(5number of sites) in the land schedule but it is seen from a document submitted with the hard copy that the area of muck disposal sites in civil land comes to 0.4592 ha only. State Govt. may submit the	Muck disposal plan में भूमि का प्रकार नाप त्रुटिबस गलत अंकित हो गया था, जिसे पुनः गठित कर ऑनलाईन अपलोड कर आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।

	clarification in this regard and submit the correct information.	
23	In the land schedule it is mentioned that 0.855 ha land falls in the Revenue Record. State Govt. may confirm if it is not a forest land as per definition given by Supreme Court.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग में 0.855 है० भूमि हाल बन्दोबस्ती नक्शो/भू-अभिलेखों में अंकित नहीं है।
24	उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार Existing Road KML File पर अंकित करें।	KML फाईल में पुनः Existing Road को दर्शा कर ऑनलाईन अपलोड कर आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र संख्या-2869/12-1, दिनांक 17.03.2023 द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

मुवदीय,

(एस०एस०रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : / FP/UK/ROAD/12982/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र संख्या-2869/12-1, दिनांक 17.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

(एस०एस०रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।